

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज.जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्था0/भरतपुर/वी-09/2019/

दिनांक:-

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 1353 दिनांक 08.10.2018 में क्रम संख्या 16 पर अंकित कार्मिका नाम श्रीमती मोनिका शर्मा, नर्स-2 एव जन्मतिथी 20.07.88, अंकित है, में आंशिक संशोधन करते हुए मोनिका शर्मा एवं जन्म तिथी 20.07.88 के स्थान पर मोनिका एवं जन्मतिथी 28.07.88 पढा जावें।
 शेष आदेश यथावत ।

-sd

(मुकुल शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्था0/भरतपुर/वी-09/2019/ 490

दिनांक- 9-4-2019

प्रतिलिपि.-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा कार्मिका के गलत प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध मे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें ।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

n

(मुकुल शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
 राजस्थान जयपुर